

सेवा मे,

- i. सभी एकीकृत एक्सेस सर्विस लाइसेंसधारक
- ii. सभी एक्सेस सेवा अधिकृत एकीकृत लाइसेंसधारक
- iii. सेवा प्रदाताओं की मीटरिंग और बिलिंग प्रणालियों की यथार्थता का ऑडिट करने के लिए पैनल में शामिल सभी लेखापरीक्षक

विषय: सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) दिनांक 11.09.2023 का कार्यान्वयन - उसके दिशानिर्देश।


भादूप्रभा ने सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2006 (2006 का 05) के मौजूदा विनियम को निरस्त करते हुए दिनांक 11.09.2023 को सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) जारी किए हैं। ये विनियम 01 अप्रैल 2024 से लागू होंगे।

2. इस संबंध में, पताकर्ता का ध्यान सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) के विनियम 5 के उप-विनियम (6) की ओर आकर्षित किया जाता है। इसमें प्रावधान है कि प्रत्येक सेवा प्रदाता ऑडिट के लिए ऐसे दिशा-निर्देशों और चेकलिस्ट का पालन करेगा, जो इस संबंध में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए जा सकते हैं।

3. सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 (2023 का 03) दिनांक 11.09.2023 के विनियम 5 के उप विनियम (6) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकरण सेवा प्रदाताओं के मीटरिंग और बिलिंग प्रणालियों की ऑडिट के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है, जो अनुलग्नक -ए में संलग्न है।

4. सभी एकीकृत एक्सेस सर्विस लाइसेंसधारक, एक्सेस सेवा अधिकृत एकीकृत लाइसेंसधारक और सेवा प्रदाताओं की मीटरिंग और बिलिंग प्रणालियों की यथार्थता की ऑडिट करने के लिए पैनल में शामिल लेखापरीक्षक इन दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाताओं की मीटरिंग और बिलिंग प्रणालियों की ऑडिट करेंगे।

संलग्नक: अनुलग्नक-ए


(तेजपाल सिंह)

सलाहकार (सेवा गुणवत्ता-1)

सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 के अंतर्गत मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की ऑडिट के लिए दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना

यह ऑडिट, सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 के अंतर्गत, मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए, चाहे वह केंद्रीकृत हो या वितरित, जिसे इसके बाद मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली कहा जाएगा, साथ ही इन विनियमों के अनुसार, प्रस्तावित सब्सक्राइब्ड टैरिफ और बिलिंग की शिकायतों सहित, बिलिंग से संबंधित रिकॉर्ड के लिए संचालित किया जाएगा।

2. लेखापरीक्षकों का पैनल बनाना

भाद्विप्रा सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट करने के लिए लेखापरीक्षकों का पैनल बनाएगा।

3. सेवा प्रदाताओं के दायित्व

प्रत्येक सेवा प्रदाता को

3.1 अपने मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों की एक्सेस सेवा के लिए उक्त विनियमों के अनुसार नियुक्त एक लेखापरीक्षक द्वारा इस तरह से ऑडिट करवाना होगा कि -

- (i) केंद्रीकृत या विभिन्न स्थानों पर वितरित बिलिंग प्रणाली की यथार्थता का ऑडिट उस बिलिंग प्रणाली द्वारा प्रदान किए जा रहे किसी भी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र का ऑडिट करने से पहले किया जाएगा;
- (ii) प्रत्येक बिलिंग प्रणाली का एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार, 30 जून तक, ऑडिट किया जाएगा;
- (iii) प्रत्येक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र का एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए ऑडिट किया जाएगा;
- (iv) ऑडिट के प्रयोजनों के लिए, लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों को यथासंभव वित्तीय वर्ष की चार तिमाहियों में समान रूप से वितरित किया जाएगा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए, कम से कम एक लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र का ऑडिट किया जाएगा।

3.2 हर साल 15 अप्रैल तक, प्राधिकरण, को अपनी ऑडिट का वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ऑडिट किए जाने वाले बिलिंग सिस्टम और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों का विवरण शामिल होगा।

3.3 यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट, सेवा गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों/चेकलिस्ट के अनुसार संचालित की जाएगी।

3.4 वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सभी एलएसए के लिए बिलिंग प्रणाली की शिकायतों से संबंधित डेटा, सभी बकाया राशि जो ग्राहकों को वापस की जानी है, का विवरण प्राधिकरण और लेखापरीक्षकों को प्रस्तुत करेगा।

3.5 अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर लेखापरीक्षक को सेवा उपयोग से संबंधित राँ कॉल डेटा रिकॉर्ड प्रदान करेगा।

3.6 अनुरोध प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर, मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली के पते, उसके द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे एलएसए के विवरण और ऑडिट के लिए प्रस्तावित एलएसए के साथ ऑडिट हेतु प्रभारी नोडल अधिकारियों के संपर्क विवरण और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़, जैसा कि लेखापरीक्षक को आवश्यक हो, ऑडिट के संचालन के लिए लेखापरीक्षक को प्रदान करेगा।

3.7 यह सुनिश्चित करेगा कि ऑडिट के सुचारू संचालन हेतु पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों को सुविधा प्रदान की जाए।

3.8 लेखापरीक्षकों के अनुरोध पर, ऑडिट के उद्देश्य से मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली या किसी अन्य प्रासंगिक नोड तक पहुंच और दस्तावेजों को प्रदान करेगा।

3.9 लेखा परीक्षकों को दी गई समय सीमा में, प्रत्येक ऑडिट की टिप्पणियों पर आवश्यक दस्तावेजों और/या प्रणाली-जनित अभिलेख के साथ लिखित टिप्पणियाँ या स्पष्टीकरण प्रदान करेगा। विस्तृत टिप्पणियाँ में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्न शामिल होंगी -

- (i) समस्या उत्पन्न होने के कारण;
- (ii) समस्या उत्पन्न होने की तिथि; और
- (iii) समस्या के समाधान की तिथि।

3.10 सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 के अनुसार प्राधिकरण को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3.11 प्रत्येक ऑडिट के अवलोकन पर सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम 2023, के अनुसार की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऑडिट अवलोकन पर की गई कार्रवाई का विवरण शामिल होगा, और ऐसे विवरण में शामिल होंगे-

- (i) समस्या उत्पन्न होने के कारण;
- (ii) समस्या उत्पन्न होने की तिथि;
- (iii) समस्या के समाधान की तिथि;
- (iv) समस्या के समाधान के लिए की गई कार्रवाई;
- (v) प्रभावित सब्सक्राइबर्स की संख्या और कुल अधिक वसूली गई राशि;
- (vi) ऐसे सब्सक्राइबर्स की संख्या जिन्हें विनियम में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर राशि वापस की गई थी और इस प्रकार वापस की गई कुल राशि; तथा
- (vii) उन सब्सक्राइबर्स की संख्या जिन्हें राशि वापसी नहीं की जा सकी और कुल राशि जो वापस नहीं की जा सकी;
- (viii) उन सब्सक्राइबर्स की संख्या जिन्हें निर्दिष्ट समय सीमा के बाद राशि वापसी की गई और इस प्रकार वापस की गई कुल राशि;
- (ix) पिछली ऑडिट से समाधान के लिए लंबित ऑडिट के अवलोकनों की स्थिति, ऐसे फॉर्मेट में जो प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

4. लेखा परीक्षकों के लिए दिशा-निर्देश

4.1 लेखापरीक्षक एलएसए की ऑडिट प्रारंभ करने से पूर्व सेवा प्रदाता की बिलिंग प्रणाली की ऑडिट करेंगे। एलएसए की ऑडिट उसकी बिलिंग प्रणाली की ऑडिट पूरा होने के बाद ही की जाएगी।

4.2 ऑडिट की पद्धति के आधार पर, एलएसए की ऑडिट गतिविधियों के दो घटक हो सकते हैं अर्थात्: (क) वे गतिविधियाँ जो बिलिंग प्रणाली की ऑडिट व्यवस्था के बाद या उसके साथ केंद्रीय रूप से संचालित की जा सकती हैं और (ख) वे गतिविधियाँ जिनमें सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क टोपोलॉजी और परिचालन व्यवस्था के आधार पर एलएसए में साइट पर जाने की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षक इस पहलू को सेवा प्रदाताओं के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं और समग्र ऑडिट की गतिविधियों को अनुसूचीयन करते समय, इसे ध्यान में रख सकते हैं। एलएसए के लिए केंद्रीय रूप से संचालित की जाने वाली ऑडिट की गतिविधियों को उन एलएसए के लिए दोहराया नहीं जाना चाहिए।

5. लेखापरीक्षकों के दायित्व:

5.1 लेखापरीक्षक सेवा प्रदाता के मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की ऑडिट करेगा और प्रमाणित करेगा कि सेवा प्रदाता का मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम,

2023 और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/निर्देशों के अनुपालन में है। लेखापरीक्षक, बाद में, निर्धारित ऑडिट पद्धति के अनुसार लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता की ऑडिट करेगा।

5.2 लेखापरीक्षक को नियमों में निर्दिष्ट की गई ऑडिट की अनुसूची का पालन अनुशासनपूर्वक करना होगा और ऑडिट प्रारंभ करने से पूर्व भादूविप्रा को सूचित करना होगा।

5.3 लेखापरीक्षक को नियमों के अनुसार ऑडिट का संचालन करने के लिए आदर्श रूप से डोमेन(क्षेत्र) विशेषज्ञों की एक टीम और उपकरण होने चाहिए। हालाँकि, आवश्यक होने पर, लेखापरीक्षक को अपनी ऑडिट के कार्य में राजस्व आश्वासन विशेषज्ञों/समाधानों को शामिल कर सकते हैं। हालाँकि, इस तरह के विशेषज्ञ इससे संबंधित सेवा प्रदाता के राजस्व आश्वासन समाधानों से संबद्ध नहीं होने चाहिए। भादूविप्रा को, राजस्व आश्वासन विशेषज्ञों का सेवा प्रदाता के साथ उनके वर्तमान संबद्ध के साथ ऐसी व्यवस्था का विवरण यदि कोई हो, तो तुरंत सूचित किया जाएगा।

5.4 लेखापरीक्षक को ऑडिट के संचालन के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा सहभाजित की गई जानकारी/डेटा की गोपनीयता बनाए रखना होगा और आवश्यक होने पर, सेवा प्रदाताओं के साथ एक गैर-प्रकटीकरण अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता हो सकती है।

5.5 लेखापरीक्षक को सभी विनियमों, निर्देशों, अनुदेशों, दिशानिर्देशों आदि, जो भादूविप्रा द्वारा समय-समय पर जारी किए जाते हैं, ऑडिट करने और उसकी रिपोर्टिंग करने के उद्देश्य से उनका अनुपालन करेगा।

5.6 लेखापरीक्षक ऐसे किसी भी सेवा प्रदाता के मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की ऑडिट नहीं करेंगे, जिसके लेखापरीक्षक पूर्व में दो वित्तीय वर्ष (ऑडिट वर्ष से पहले के वर्ष से) के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक या आंतरिक लेखापरीक्षक हैं या रहे हैं या ऑडिट के निष्पक्ष आचरण में, उसके हितों का कोई टकराव है।

5.7 लेखापरीक्षक किसी भी सेवा प्रदाता की मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की ऑडिट के दौरान गौर की गई/नोट की गई किसी गंभीर मामले/अवलोकन के बारे में, विनियामक प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेंगे।

5.8 प्राधिकरण मीटरिंग, बिलिंग, वैल्यू एडेड सेवाओं आदि से संबंधित शिकायतों को सत्यापन और ऑडिट रिपोर्ट में निष्कर्षों के समावेशन के लिए संदर्भित कर सकता है।

5.9 लेखापरीक्षकों को विस्तृत प्रस्तुति देने हेतु कहा जा सकता है जिसमें ऑडिट के लिए अपनाई गई प्रक्रिया/कार्य प्रणाली सहित ऑडिट के प्रमुख निष्कर्ष शामिल किए हों। लेखापरीक्षक ऐसी बैठकों/प्रस्तुतियों में अपने व्यय पर शामिल होंगे।

5.10 लेखापरीक्षक को ऑडिट समाप्त होने पर रिपोर्ट की एक प्रति तुरंत प्राधिकरण को देनी होगी।

5.11 लेखापरीक्षकों को सेवा प्रदाताओं द्वारा सहभाजित किए गए डेटा सहित संबंधित वित्तीय वर्ष के ऑडिट के सभी रिकॉर्ड कम से कम अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए सुरक्षित रूप से बनाए रखने होंगे तथा प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

यदि कोई लेखापरीक्षक विनियमों के इन प्रावधानों और समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों या दिशा-निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, तो लेखापरीक्षकों के पैनल से लेखापरीक्षक को निकाला जा सकता है;

बशर्ते कि पैनल से हटाए जाने से पहले लेखापरीक्षक को उचित अवसर दिया जाएगा।

6. ऑडिट पद्धति

लेखापरीक्षक, ऑडिट का संचालन इन दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-1 में दिए गए ऑडिट पद्धति के अनुसार करेंगे।

7. ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

7.1 लेखापरीक्षक निर्दिष्ट अनुसूची के अनुसार प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में बिलिंग प्रणाली के साथ-साथ तिमाही में ऑडिट किए गए एलएसए के लिए ऑडिट रिपोर्ट तुरंत तैयार करेंगे।

7.2 लेखापरीक्षक, किसी भी ऑडिट अवलोकन पर सेवा प्रदाता की टिप्पणियों की प्रतीक्षा में, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने में देरी नहीं करेंगे।

7.3 बिलिंग प्रणाली या एलएसए की ऑडिट पूर्ण होने के बाद, मामला चाहे जैसा भी हो, लेखापरीक्षक अनुसूची के अनुसार ऑडिट की रिपोर्ट और ऑडिट के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति भादूविप्रा को प्रस्तुत करेंगे।

7.4 ऑडिट के दौरान पहचाने गए समस्या के विषयों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

(i) श्रेणी 1 (अपालन): अपालन या अभाव की एक महत्वपूर्ण समस्या जिसके सुधार के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। श्रेणी 1 के मामलों के गंभीर परिणामों के दृष्टिकोण से, एक सेवा प्रदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में इसका समाधान करेगा। ऐसी किसी भी घटना में, एक माह के भीतर सुधार के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर सहमति के अनुसार इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए तथा उसका विवरण ऑडिट की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) श्रेणी 2 (अभाव): समस्या का एक विषय, जिसका समाधान एक निश्चित अवधि के भीतर किया जाना है, जिस पर लेखापरीक्षक सहमत है। किसी भी घटना में, सुधार के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर सहमति के अनुसार उसे तीन महीने के भीतर तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए तथा उसका विवरण ऑडिट की रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) श्रेणी 3 (अवलोकन): सेवा प्रदाता द्वारा विचार करने योग्य मामला, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः सुधारात्मक और/या निवारक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन श्रेणी 1 या 2 वर्गीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त महत्व का नहीं है।

7.5 ऑडिट रिपोर्ट में अन्य विवरण के अतिरिक्त निम्नलिखित विवरण शामिल किए जाएंगे:

(i) मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली या एलएसए, जैसा लागू हो, का संक्षिप्त अवलोकन

(ii) प्रमुख निष्कर्ष या अवलोकन

(iii) व्यापक रूप के अंतर्गत वर्गीकृत ग्राहकों की बिलिंग प्रणाली की शिकायतों का विश्लेषण और निष्कर्ष

(iv) ओवरचार्जिंग के मामले, सेवा प्रदाता की टिप्पणियाँ और लेखापरीक्षक की अंतिम टिप्पणियाँ, ऐसे प्रारूप में और ऐसे अंतराल पर जैसा प्राधिकरण समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

(v) सेवा प्रदाता द्वारा अधिक वसूली गई राशि पर की गई कार्रवाई और उसके सत्यापन, जिनमें उसके कारणों सहित उनकी राय शामिल है।

(vi) प्रत्येक ऑडिट के अवलोकन के विरुद्ध सेवा प्रदाता द्वारा की गई टिप्पणियाँ तथा इन टिप्पणियों पर लेखापरीक्षक की राय।

(vii) सेवा प्रदाता द्वारा ऑडिट अवलोकन को अस्वीकृत करना, यदि कोई हो, साथ ही उस पर सेवा प्रदाता की टिप्पणियाँ।

(viii) विनियमों में निर्धारित मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए सेवा प्रदाता द्वारा पद्धति संहिता के अनुपालन पर अवलोकन।

(ix) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य प्रासंगिक विवरण।

8. विविध

ऑडिट के दौरान, लेखापरीक्षक को किसी भी मामले पर भादूविप्रा द्वारा विशेष ऑडिट का कार्य दिया जा सकता है। लेखापरीक्षक ऐसे मामले पर एक ऑडिट करेगा और भादूविप्रा को इस संबंध में, ऑडिट के निष्कर्षों को भादूविप्रा द्वारा निर्धारित फॉर्मेट और समयावधि के भीतर रिपोर्ट करेगा।

9. ऑडिट और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा

क्र. सं.	गतिविधि	जिम्मेदारी	समय-सीमा
----------	---------	------------	----------

1.	बिलिंग प्रणाली ऑडिट		
1(a)	बिलिंग प्रणाली(यों) की ऑडिट का समापन	लेखापरीक्षक	30 जून तक
1(b)	लेखापरीक्षित बिलिंग प्रणाली(यों) की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना	सेवा प्रदाता	30 सितंबर तक
1(c)	की गई कार्रवाई रिपोर्ट*	सेवा प्रदाता	ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दो महीने के भीतर अर्थात 30 नवंबर तक।
2.	एलएसए ऑडिट		
2(a)	लेखापरीक्षित एलएसए की ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना	सेवा प्रदाता	लेखापरीक्षित एलएसए के लिए अगली तिमाही के अंत तक। उदहारण: जुलाई-सितंबर में लेखापरीक्षित एलएसए के लिए जून में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, ऑडिट की रिपोर्ट 30 सितंबर तक प्रस्तुत करनी है।
2(b)	की गई कार्रवाई रिपोर्ट*	सेवा प्रदाता	ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दो महीने के भीतर। उदहारण: जुलाई-सितंबर में लेखापरीक्षित एलएसए के लिए जून में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, की गई कार्रवाई रिपोर्ट 30 नवंबर तक प्रस्तुत करनी है।
2(c)	ऑडिट के प्रमुख निष्कर्ष	लेखापरीक्षक	लेखापरीक्षित एलएसए के लिए अगली तिमाही के अंत तक। उदहारण: जुलाई-सितंबर में लेखापरीक्षित एलएसए के लिए जून में समाप्त होने वाली तिमाही के लिए, ऑडिट के प्रमुख निष्कर्ष 30 सितंबर तक प्रस्तुत करने हैं।

* की गई कार्रवाई रिपोर्ट में पिछली तिमाहियों की सभी लंबित ऑडिट के अवलोकनों, यदि कोई हों, की स्थिति भी शामिल होगी।

अस्वीकरण: यह दिशा-निर्देश मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे गए दिशा-निर्देश का हिंदी अनुवाद है। किसी भी विसंगति के मामले में, दिशा-निर्देश का अंग्रेजी लिखित संस्करण मान्य होगा।

ऑडिट कार्य प्रणाली

1. लेखापरीक्षक सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियम, 2023 और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देश/निर्देशों के अनुसार वायर लाइन और वायरलेस मीडिया पर प्रदान की जाने वाली एक्सेस सेवा के प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों ग्राहकों के लिए सेवा प्रदाताओं की मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की ऑडिट करेंगे।
2. लेखापरीक्षक अन्य बातों के अतिरिक्त, ऑडिट के समय निम्नलिखित की यथार्थता का मूल्यांकन करेगा:
 - 2.1 मीटरिंग, बिलिंग और नीति-नियमों के अनुप्रयोगों, यदि कोई हों, के लिए जिम्मेदार नोड्स द्वारा कॉल डेटा रिकॉर्ड्स (सीडीआर) की उत्पादन प्रक्रिया और यथार्थता।
 - 2.2 विभिन्न टैरिफ योजनाओं और सब्सक्राइब किए गए वाउचर के अनुप्रयोग के सभी विस्तृत परिदृश्यों को सम्मिलित करते हुए, लॉन्च से पहले टैरिफ योजनाओं और सभी प्रकार के वाउचरों के कॉन्फिगरेशन का परीक्षण करने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा परिनियोजित आईटी नोड्स और प्रणाली के सॉफ्टवेयर लॉजिक और कॉन्फिगरेशन लॉग रिपोर्ट।
 - 2.3 लागू दर, उल्लिखित अवधि, स्रोत और गंतव्य कोड के संबंध में सीडीआर की यथार्थता।
 - 2.4 प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक विनियमों, दूरसंचार टैरिफ ऑर्डर, निदेशों, आदेशों और निर्देशों का अनुपालन जो कि समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं। आज तक, इसकी वर्तमान सूची संलग्नक-II में उपलब्ध है, जिसे भविष्य में संशोधित किया जा सकता है।
 - 2.5 लेखापरीक्षक, अपने स्वयं के साधन और परीक्षण सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए, सेवा प्रदाताओं के टैरिफ के कॉन्फिगरेशन जांच तंत्र का उपयोग करने और उसकी यथार्थता का सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र है।
3. ऑडिट पूर्व गतिविधियाँ: लेखापरीक्षक
 - 3.1 समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियमन, 2023, से संबद्ध दिशानिर्देश/निर्देश/निदेश और विभिन्न टैरिफ ऑर्डर, दिशा-निर्देश और अन्य विनियमों से परिचित होना चाहिए।
 - 3.2 सेवा प्रदाता के नोडल अधिकारी(यों) जो ऑडिट की गतिविधियों के समन्वय, रिकॉर्ड प्रस्तुत करने और ऑडिट के अवलोकनों का उत्तर देने के लिए अधिकृत हैं, का विवरण प्राप्त करेगा।
 - 3.3 प्रत्येक मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली तथा नीति/नियम कॉन्फिगरेशन प्रणाली के साथ इसके स्थान के विवरण, सेवा प्रदान किए गए एलएसए और अन्य प्रासंगिक विवरण की सूची प्राप्त करेगा जो ऑडिट के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हैं।
 - 3.4 बिलिंग की शिकायतें, सेवा प्रदाता से ग्राहकों को वापस की जाने वाली बकाया राशि का विवरण या ऑडिट के संचालन के लिए कोई अन्य प्रासंगिक विवरण को एकत्र करेगा और उसे सत्यापित करेगा।
4. केंद्रीकृत/वितरित बिलिंग प्रणाली की ऑडिट
 - 4.1 सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी बिलिंग या चार्जिंग प्रणाली, जो या तो केंद्रीकृत हो या फिर विभिन्न स्थानों पर वितरित हो, द्वारा सेवा प्रदान किए जा रहे किसी भी लाइसेंस सेवा क्षेत्र की ऑडिट करने से पहले, उसकी बिलिंग या चार्जिंग प्रणाली की ऑडिट की जाए।
 - 4.2 बिलिंग प्रणाली की यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए, एलएसए के अनुसार ऑडिट प्रारंभ करने से पूर्व लेखापरीक्षक सेवा प्रदाताओं की केंद्रीकृत और/या वितरित बिलिंग प्रणाली में परिभाषित विभिन्न प्रक्रियाओं और कॉन्फिगरेशन की ऑडिट करेगा।

बिलिंग प्रणाली की ऑडिट करते समय, लेखापरीक्षक प्रासंगिक लॉग या प्रणाली जनित रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित व्यापक प्रक्रियाओं को जांचेगा, जो नीचे सूचीबद्ध तक सीमित नहीं हैं:

- (i) सीडीआर/आईपीडीआर से बिलिंग केंद्रीय प्रणाली तक सीडीआर/आईपीडीआर उत्पन्न करने वाले नोड्स का प्रवाह तथा मध्यस्थ या चार्जिंग प्रणाली में उनका प्रसंस्करण।
 - (ii) पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर की बिलिंग हेतु सीडीआर को रेट करने के लिए या प्रीपेड सब्सक्राइबर के लिए ऑनलाइन चार्जिंग लागू करने के लिए बिलिंग प्रणाली में परिभाषित रेट करने की कार्यप्रणालियाँ।
 - (iii) उचित उपयोग के लिए बनाई गई नीति की परिभाषाएँ, यदि कोई हों, अथवा कोई अन्य नीतियाँ जैसा कि पोस्ट-पेड और प्री-पेड सब्सक्राइबर के लिए रेटिंग प्रक्रियाओं पर उनके प्रभाव सहित टैरिफ पेशकश पर लागू होता है।
 - (iv) वैल्यू एडेड सेवाओं के लिए बिलिंग कार्यप्रणालियाँ और पोस्ट-पेड और प्री-पेड सब्सक्राइबर के लिए प्रणाली में उनकी रेटिंग या चार्जिंग
 - (v) प्री-पेड प्रणाली हेतु सब्सक्राइबर द्वारा विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऑनलाइन चार्जिंग का कॉन्फिगरेशन, प्रसंस्करण और अनुप्रयोग
 - (vi) सब्सक्राइबर के खाते में ई-चार्जिंग/पोर्टल चार्जिंग/ऐप आधारित और/या भौतिक चार्जिंग प्रणाली के माध्यम से टैरिफ के प्रस्ताव की प्रयोज्यता
 - (vii) तृतीय पक्ष के प्रस्ताव के माध्यम से सब्सक्राइबर के लिए लागू क्रेडिट तंत्र की प्रयोज्यता, यदि कोई हो,
 - (viii) अनुग्रह अवधि प्रबंधन सहित, यदि कोई लागू हो, सब्सक्राइबर की शेष राशि का प्रबंधन
 - (ix) पूर्वनिर्धारित अंतराल के बाद सब्सक्राइबर के खाते को स्वचालित पुनर्भरण की अनुमति देते हुए टैरिफ के प्रस्ताव हेतु टॉप-अप और आगे बढ़ाने का तंत्र (उदाहरण- प्रतिदिन 1 जीबी का उपयोग या 100 मिनट कॉल या 100 एसएमएस आदि)
 - (x) कोई अन्य प्रस्ताव जो ऊपर सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सब्सक्राइबर पर लागू होता है
5. एलएसए की ऑडिट

5.1 चरण-1 मीटरिंग प्रणाली की ऑडिट

5.1.1 लेखापरीक्षक, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मीटरिंग और मध्यस्थ प्रक्रिया यथार्थ है और कोई प्रणालीगत अभाव नहीं देखा गया, सैंपल टेस्ट कॉल करके मीटरिंग और मध्यस्थ प्रक्रिया की जांच करेगा।

5.1.2 परीक्षण नंबरों का उपयोग करके, प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं की स्थितियाँ जैसे- टेस्ट वॉयस कॉल करना, संदेश भेजना और डेटा सेशन स्थापित करना, वीएस सेवा का प्रावधान करना आदि, का अनुकरण करते हुए मीटरिंग प्रणाली की यथार्थता की जांच की जाएगी। ऐसा सत्यापन सीडीआर/आईपीडीआर उत्पन्न करने वाले और नीति परिभाषाओं (जैसे उचित उपयोग अनुप्रयोग, दैनिक डेटा मात्रा सीमा आदि) के लिए भी जिम्मेदार, एलएसए के कम से कम पांच नेटवर्क तत्वों/नोड्स में किया जाएगा। ये नेटवर्क तत्व/नोड्स भिन्न होने चाहिए और भौगोलिक दृष्टि से पूरे एलएसए में प्रसारित होने चाहिए। परीक्षण करते समय प्राथमिकता नव नियुक्त नेटवर्क तत्वों/नोड्स को दी जानी चाहिए। यह परीक्षण/सत्यापन विभिन्न सेवाओं जैसे वॉयस कॉल/संदेश/डेटा सत्र, वीएस सेवाएं आदि को सम्मिलित करते हुए प्रति नेटवर्क तत्व/नोड पर कम से कम दस परीक्षण कॉल करके किया जाएगा।

5.1.3 लेखापरीक्षक रॉ सीडीआर/आईपीडीआर में रिकॉर्ड की गई अवधि/संख्या/समय/टेस्ट वॉयस कॉल के डेटा की मात्रा/संदेश/डेटा सेशन/वीएस की तुलना सॉफ्टवेयर या उपकरण द्वारा मापे गए संबंधित माप से करेगा, जिनका उपयोग ऐसे टेस्ट वॉयस कॉल/संदेश/डेटा सत्र/वीएस, मानक/स्थापित तकनीकों के लिए किया जाता है।

5.1.4 मापन की यथार्थता सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता) विनियमन 2023 में निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। टेस्ट वॉयस कॉल संदेश/डेटा सेशन के विवरण के साथ निष्कर्षों को ऑडिट रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

5.1.5 ऑडिट किए जा रहे एलएसए के लिए, सेवा प्रदाता तिमाही के अंत में सब्सक्राइबर को वापस की जाने वाली अद्यतन बकाया राशि का विवरण लेखापरीक्षक को प्रस्तुत करेगा। ऑडिट के समय लेखापरीक्षक इसे सत्यापित करेगा।

5.2 चरण-2 - टैरिफ के प्रस्तावों का सारणीकरण

- 5.2.1 लेखापरीक्षक को सभी टैरिफ प्रस्तावों (सेवा स्तर अनुबंध आधारित टैरिफ प्रस्तावों को छोड़कर) नामतः टैरिफ प्लान, प्लान वाउचर, स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी), कॉम्बो वाउचर (सीवी), टॉप अप वाउचर (टीयूवी), वायरलाइन और वायरलेस मीडिया पर प्रदान की जाने वाली एक्सेस सेवा के प्रीपेड और पोस्टपेड सब्सक्राइबर को दिए जाने वाले ऐड-ऑन प्लान, अनुलग्नक-I-A से I-D में निर्धारित प्रारूप के अनुसार, सेवा प्रदाता की ओर से, जो भी लागू हो, का विवरण प्राप्त करना होगा।
- 5.2.2 सेवा प्रदाता सिस्टम में कॉन्फिगर किए गए टैरिफ के अनुसार जानकारी प्रदान करेगा। सेवा प्रदाता द्वारा, यह बताने वाला एक प्रमाणपत्र कि अनुलग्नक -I-A से I-D में दी गई जानकारी और सब्सक्राइबर की मीट्रिंग और बिलिंग प्रणाली के लिए सिस्टम में कॉन्फिगर की गई जानकारी में कोई विसंगति नहीं है, लेखापरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।
- 5.2.3 ऐसी सभी टैरिफ के प्रस्ताव, जो नीचे दिए गए मानदंडों में से एक या अधिक मानदंडों को पूरा करते हैं, का विवरण अनुलग्नक -I-A से I-D में शामिल किया जाएगा:
- तिमाही, जिसके लिए ऑडिट की जा रही है, के अंतिम दिन सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध हो;
 - उस तिमाही के प्रारंभ में, जिसके लिए ऑडिट की जा रही है, कम से कम एक सक्रिय सब्सक्राइबर का होना;
 - उस तिमाही के अंत में, जिसके लिए ऑडिट की जा रही है, कम से कम एक सक्रिय सब्सक्राइबर का होना;
 - उस तिमाही में, जिसके लिए ऑडिट की जा रही है, उसके दौरान कम से कम एक सब्सक्राइबर द्वारा सब्सक्राइब किया जाना;
- 5.2.4 लेखापरीक्षक, सेवा प्रदाता द्वारा भादूविप्रा के पास दाखिल की गई जानकारी के आधार पर सभी टैरिफ प्रस्तावों के लिए, अनुलग्नक-I-A से I-D के समान, अनुलग्नक I-AA से अनुलग्नक-I-DA भी अलग से तैयार करेगा।
- 5.2.5 लेखापरीक्षक, अनुलग्नक-I-AA से I-DA में लेखापरीक्षक द्वारा तैयार किए गए टैरिफ प्रस्तावों के विवरण के साथ, सिस्टम में कॉन्फिगर किए गए और सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध-I-A से I-D में प्रदान किए गए सभी टैरिफ प्रस्तावों के विवरण को सत्यापित करेगा। कोई भी विसंगति, जिसमें लुप्त जानकारी शामिल है, उसके बारे में भादूविप्रा को अवगत करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु तुरंत सेवा प्रदाता के ध्यान में लाया जाएगा। ऐसे निष्कर्षों को ऑडिट की रिपोर्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा।

5.3 चरण-3 - ऑडिट के लिए टैरिफ प्रस्तावों का संवर्गीकरण और समूहीकरण

- 5.3.1 सेवा प्रदाता कॉल, डेटा, संदेश, आईएसडी कॉल दर, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग में कॉल दर, मौद्रिक मूल्य, वैधता, वैल्यू एडेड सेवाएँ आदि, जैसे विभिन्न सेवा घटकों पर टैरिफ प्रस्ताव के संभावित प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद विभिन्न समूहों के अंतर्गत अनुबंध-I-A से I-D में लेखापरीक्षक को विवरण प्रस्तुत करते समय, सभी टैरिफ प्रस्तावों को वर्गीकृत भी करेंगे।

5.3.2 इस प्रकार बने समूह, वे व्यापक श्रेणियां होंगी, जिनमें से ऑडिट के लिए टैरिफ प्रस्तावों के प्रतिनिधि सैंपल को चुना जाना है। विभिन्न समूहों की एक सांकेतिक सूची इस प्रकार है:

समूह संख्या	समूह जिस पर प्रभाव पड़ रहा है
A	कॉल + संदेश + डेटा + मौद्रिक मूल्य
B	कॉल + संदेश + डेटा
C	कॉल + डेटा + मौद्रिक मूल्य
D	कॉल + संदेश
E	कॉल + डेटा
F	कॉल
G	डेटा
H	मौद्रिक मूल्य
I	कॉल + संदेश+अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग में डेटा
J	कॉल + अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग में संदेश
K	कॉल + डेटा + वैल्यू एडेड सेवाएं

नोट : यह सूची केवल सांकेतिक है और पूर्ण नहीं है। संबंधित सेवा प्रदाता के टैरिफ प्रस्ताव के आधार पर अधिक समूह बनाए जा सकते हैं।

5.3.3 प्रत्येक अनुलग्नक में सभी टैरिफ प्रस्तावों को, चाहे वह टैरिफ प्लान, प्लान वाउचर, स्पेशल टैरिफ वाउचर (एसटीवी), कॉम्बो वाउचर (सीवी), टॉप अप वाउचर (टीयूवी), ऐड-ऑन प्लान आदि हो, उन्हें समूहों में संयोजित किया जाना चाहिए।

5.3.4 लेखापरीक्षक के द्वारा प्रत्येक अनुलग्नक के प्रत्येक समूह से, पांच सबसे लोकप्रिय टैरिफ प्रस्ताव या किसी विशेष समूह के अंतर्गत सभी टैरिफ प्रस्ताव, जो भी कम होगा, ऑडिट के लिए चुना जाएगा। ऑडिट के लिए टैरिफ पेशकश का चयन विभिन्न मापदंडों नामतः तिमाही प्रारंभ में सक्रिय सब्सक्राइबर की संख्या; तिमाही के अंत में सक्रिय सब्सक्राइबर की संख्या; तिमाही के दौरान टैरिफ प्रस्ताव के लिए सब्सक्रिप्शन संख्या आदि, पर विचार करते हुए विवेकपूर्ण तरीके से किया जाएगा। लेखापरीक्षक, संबंधित अनुलग्नकों में पांच सबसे लोकप्रिय टैरिफ प्रस्तावों के चयन या गैर-चयन के लिए प्रत्येक टैरिफ पेशकश के विरुद्ध, ऑडिट रिपोर्ट में कारण भी रिकॉर्ड करेगा।

5.3.5 तथापि, इन विनियमों में निहित आवश्यकताओं के अनुपालन को केवल उन टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी जिनका सब्सक्राइबर के बिल पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है और टैरिफ प्रस्ताव को वहाँ भौतिक प्रभाव डालने वाला माना जाएगा:

(i) जहां सेवा प्रदाता का राजस्व, सैंपलिंग के लिए बनाए गए संबंधित समूहों के सभी सब्सक्राइबर से टैरिफ के प्रस्ताव के कुल राजस्व का 5% हो या अधिक हो; या

(ii) जहां सेवा प्रदाता द्वारा दिए जाने वाले टैरिफ प्रस्ताव को सब्सक्राइबर करने वाले सब्सक्राइबर की संख्या सैंपलिंग के लिए बनाए गए संबंधित समूह में कुल सब्सक्राइबर आधार का 5% हो या अधिक हो; या

(iii) भादूविप्रा के विशिष्ट निर्देश पर।

बशर्ते कि उपरोक्त भौतिकता प्रावधान जो अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कॉल/संदेश या कॉल/संदेश/डेटा के टैरिफ पर प्रभाव डाल रहे हैं, किसी भी टैरिफ प्रस्ताव पर लागू नहीं होंगे।

5.3.6 लेखापरीक्षक, सेवा प्रदाताओं से प्रत्येक अनुलग्नक के प्रत्येक समूह से सभी पांच सबसे लोकप्रिय टैरिफ प्रस्तावों में ऑडिट के अंतर्गत, जैसा कि ऊपर चुना गया है, तिमाही के अंत में सक्रिय सब्सक्राइबर की सूची एकत्र करेगा।

5.3.7 लेखापरीक्षक, यादृच्छिक आधार पर प्रत्येक अनुलग्नक (I-A से I-D) में प्रत्येक समूह से न्यूनतम 1067 सब्सक्राइबर (किसी भी जनसंख्या आकार के लिए 3% की त्रुटि की संभावना के साथ 95% आत्मविश्वास स्तर प्राप्त करने के लिए) या समूह के कुल सब्सक्राइबर संख्या जो भी कम हो, का चयन करेगा बशर्ते पांच सबसे लोकप्रिय टैरिफ प्रस्तावों के सैंपल उनके सब्सक्राइबर संख्या के अनुपात में चुने गए हों।

5.3.8 लेखापरीक्षक को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक समूह के अंतर्गत चुने गए यादृच्छिक सैंपल अलग-अलग हैं और पहले से ही किसी अन्य समूह द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं। सैंपल की पुनरावृत्ति की स्थिति में, बराबर संख्या में नये सैंपल चुने जा सकते हैं ताकि कुल सैंपल की संख्या अपरिवर्तित रहे।

5.3.9 यदि कोई टैरिफ प्रस्ताव नामतः टैरिफ प्लान, प्लान वाउचर, विशेष टैरिफ वाउचर, कॉम्बो वाउचर, टॉप अप वाउचर, ऐड-ऑन प्लान, जो एक ही बिलिंग सिस्टम से बिल्कुल एक जैसी कॉन्फिगरेशन के साथ एकाधिक एलएसए में प्रस्तुत किए जाते हैं तो लेखापरीक्षक किसी एक एलएसए में ऐसे टैरिफ प्रस्ताव की ऑडिट कर सकता है और शेष एलएसए में, किसी समूह की पांच सबसे लोकप्रिय टैरिफ प्रस्ताव के लेखापरीक्षण के लिए उसी समूह के वैकल्पिक टैरिफ प्रस्ताव को चुना जा सकता है।

5.3.10 यदि किसी समूह के अंतर्गत, सभी टैरिफ प्रस्ताव, एक ही बिलिंग प्रणाली से प्रदान किए गए विभिन्न एलएसए की ऑडिट के दौरान पहले ही शामिल किए जा चुके हैं और समूह में कोई भी टैरिफ प्रस्ताव बिना ऑडिट के बाकी नहीं है, तो ऐसे समूह से, टैरिफ प्रस्तावों को चुने जाने की प्रक्रिया उसी बिलिंग प्रणाली द्वारा प्रदान किए गए बाकी बचे एलएसए में दोहराई जाएगी।

5.4 चरण - 4 - बिलिंग प्रणाली की शिकायतों का समाधान

5.4.1 लेखापरीक्षक मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता स्थापित करने हेतु पोस्ट-पेड और प्री-पेड दोनों ही सब्सक्राइबर के लिए अतीत काल की बिलिंग शिकायतों का समाधान भी करेगा।

5.4.2 लेखापरीक्षक, प्रत्येक एलएसए से, 100 बिलिंग शिकायतों या कुल बिलिंग शिकायतों में से 10%, विभिन्न प्रकार से मिलकर बनी, तिमाही के दौरान पंजीकृत, जो भी कम हो, का चयन यादृच्छिक आधार पर करेगा। लेखापरीक्षक, सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए शिकायतों के समाधान के साथ इनका विश्लेषण विस्तार से करेगा। लेखापरीक्षक जांचने के लिए वापस कॉल करके यह भी सत्यापित करेगा कि शिकायतकर्ता प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट हैं या नहीं। ऐसे सभी यादृच्छिक रूप से चुने गए सब्सक्राइबर को, बिलिंग शिकायत ऑडिट के लिए, सीडीआर/आईपीडीआर ऑडिट के लिए भी शामिल किया जाएगा। लेखा परीक्षकों द्वारा, कॉलिंग नंबर, कॉल किए गए नंबर, कॉल का समय और अवधि आदि के साथ किए गए ऐसे कॉल रिकॉर्ड का एक लॉग अनुरक्षित रखा जाएगा और प्राधिकरण द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाएगा।

5.5 चरण - 5 - सीडीआर/आईपीडीआर का सत्यापन

5.5.1 उपरोक्त चरण-3 और चरण-4 में चुने गए सभी सब्सक्राइबर के सीडीआर/आईपीडीआर/अन्य सेवा के उपयोग रिकॉर्ड आदि की ऑडिट की जाएगी।

5.5.2 लेखापरीक्षक ऐसे सभी सब्सक्राइबर का एक माह का रॉ सीडीआर/आईपीडीआर एकत्र करेगा। एक माह की अवधि पोस्टपेड सब्सक्राइबर के लिए बिलिंग अवधि और प्रीपेड सब्सक्राइबर के लिए प्लान चक्र के अनुरूप होगी।

5.5.3 रॉ सीडीआर/आईपीडीआर के संग्रह के अतिरिक्त, सेवा प्रदाता से निम्नलिखित विवरण भी एकत्र किए जाएंगे:

- (i) पोस्टपेड सब्सक्राइबर के लिए: संगत अवधि का बिल, संबंधित माह के प्रारंभ और अंत में सब्सक्राइबर के खाते का विवरण, परिवर्तन के साथ, यदि कोई हो, माह के दौरान और लागू की गई पॉलिसी का विवरण, यदि कोई हो।
- (ii) प्रीपेड ग्राहक के लिए: जिस माह के लिए सीडीआर/आईपीडीआर की मांग की गई है, उस माह के दौरान प्रत्येक सीडीआर/आईपीडीआर के लिए घटाया गया शुल्क और लागू पॉलिसी का विवरण, यदि कोई हो,

के संबंध में माह के प्रारंभ और अंत में सब्सक्राइबर का खाता विवरण, वाउचर लागू करने के लिए (पीवी/एसटीवी/सीवी आदि), सभी सेवा/रिचार्ज से संबंधित लेन-देन विवरण अर्थात् मूल्यवर्ग, वैधता, विशेषताएँ आदि।

5.5.4 लेखापरीक्षक प्रत्येक सब्सक्राइबर के सीडीआर/आईपीडीआर को उसकी सब्सक्राइब्ड प्लान और सेवा प्रदाता द्वारा भादूविप्रा को दायर किए गए प्लान के विवरण के अनुसार रेटिंग देगा और इसी अवधि के लिए इसकी तुलना बिल (पोस्टपेड ग्राहकों के लिए) के साथ और घटाए गए शुल्क (प्रीपेड ग्राहकों के लिए) के साथ करेगा।

5.5.5 ऑडिट में खाते (मीटरिंग और बिलिंग प्रणाली की यथार्थता के लिए पद्धति संहिता के खंड 5 के अनुसार) में क्रेडिट लागू करने का सत्यापन, टॉप अप वाउचर को लागू करना, वीएस सेवाओं से संबंधित शुल्क, टैरिफ प्रस्ताव के अनुसार उचित/वाणिज्यिक उपयोग नीतियों (एफयूपी/सीयूपी) को लागू करना, सब्सक्राइबर को दी गई क्रेडिट सीमा तक सेवा जारी रखना आदि भी शामिल होगा।

5.5.6 लेखापरीक्षक विसंगति का पता चलने पर उसका विश्लेषण करेगा और इसके मूल कारण का पता लगाएगा। ऑडिट के दौरान देखे गए अधिक वसूली के सभी मामलों की जानकारी तुरंत सेवा प्रदाता को दी जाएगी।

5.5.7 लेखापरीक्षक संशोधनात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के सफल कार्यान्वयन का भी सत्यापन करेगा।

(विभिन्न समूह के गठन और चित्रांकन सैंपल के उदाहरण अनुलग्नक-III में दिए गए हैं)

Annexure-I-A **Format for collection of different tariff offerings of Wireless Prepaid**

TSP:

Quarter:

LSA:

	Product sub category	Sno.	Unique Record ID	Product Name as per TSP	Unique Plan ID (by TSP), if any	Regular/Promotional	Date of reporting to TRAI	Launch/Revision/Correction/Withdrawal	Start date	Unique Record ID of Old tariff	Date of withdrawal	Price (Including Processing Fee & GST)	Talktime (in Rs.)	Validity (in Days)	Call (Local)	Call (STD)	Call (ISD)	Call (Incoming in National Roaming)	Call (Local Outgoing in National Roaming)	Call (STD Outgoing in National Roaming)	Call (ISD Outgoing in National Roaming)		
i	Plan Voucher	1																					
		2																					
		3																					
ii	STV	1																					
		2																					
		3																					
iii	Combo Voucher	1																					
		2																					
		3																					
iv	Top Up Voucher	1																					
		2																					
		3																					
v	Prepaid VAS	1																					
		2																					
		3																					
vi	Prepaid Promo	1																					
		2																					
		3																					
vii	Prepaid International Roaming	1																					
		2																					
		3																					
viii	Pre-paid SUK	1																					
		2																					
		3																					

Annexure-I-B **Format for collection of different tariff offerings of Wireless Postpaid**

TSP:

Quarter:

LSA:

	Product sub category	Sno.	Unique Record ID	Product Name as per TSP	Unique Plan ID (by TSP), if any	Regular/Promotional	Date of reporting to TRAI	Launch/Revision/Correction/Withdrawal	Start date	Unique Record ID of Old tariff	Date of withdrawal	Installation/Activation Charges (if any)	Security Deposit (Int Roaming)	Security Deposit (Any other)	Monthly Rental (Excluding GST)	Validity (in Days)	Call (Local)	Call (STD)	Call (ISD)	Call (Incoming in National Roaming)	Call (Local Outgoing in National Roaming)		
i	Postpaid Plan	1																					
		2																					
		3																					
ii	Postpaid Addon Pack	1																					
		2																					
		3																					
iii	Postpaid VAS	1																					
		2																					
		3																					
iv	Postpaid International roaming	1																					
		2																					
		3																					
v	Postpaid Promo	1																					
		2																					
		3																					

Annexure-I-A

	Product sub category	Sno.	Call (Incoming in Int Roaming)	Call (Local Outgoing in Int Roaming)	Call (ISD Outgoing in Int Roaming)	Message (Local)	Message (National)	Message (International)	Message (In National Roaming)	Message (In Int Roaming)	Data - Home (including FUP)	Data- In National Roaming (including FUP)	Data- In Int Roaming (including FUP)	Data carry forward limit (in days/ months)	Value added service	Any other service (please specify)	Active for offering to new subscribers as on last day of the quarter (Y/N)	Number of Active Subscribers as on first day of the quarter
i	Plan Voucher	1																
		2																
		3																
ii	STV	1																
		2																
		3																
iii	Combo Voucher	1																
		2																
		3																
iv	Top Up Voucher	1																
		2																
		3																
v	Prepaid VAS	1																
		2																
		3																
vi	Prepaid Promo	1																
		2																
		3																
vii	Prepaid International Roaming	1																
		2																
		3																
viii	Pre-paid SUK	1																
		2																
		3																

Annexure-I-B

	Product sub category	Sno.	Call (STD Outgoing in National Roaming)	Call (ISD Outgoing in National Roaming)	Call (Incoming in Int Roaming)	Call (Local Outgoing in Int Roaming)	Call (ISD Outgoing in Int Roaming)	Message (Local)	Message (National)	Message (International)	Message (In National Roaming)	Message (In Int Roaming)	Data - Home (including FUP)	Data- In National Roaming (including FUP)	Data- In Int Roaming (including FUP)	Data carry forward limit (in days/ months)	Value added service	Any other service (please specify)
i	Postpaid Plan	1																
		2																
		3																
ii	Postpaid Addon Pack	1																
		2																
		3																
iii	Postpaid VAS	1																
		2																
		3																
iv	Postpaid International roaming	1																
		2																
		3																
v	Postpaid Promo	1																
		2																
		3																

Annexure-I-A

	Product sub category	Sno.	Number of Active Subscribers as on last day of the quarter	Subscription count during the Quarter	Groups based on tariff offerings	Group description	Tariff plan selected for Audit (Y/ N)	Justification for selection / non-selection of the tariff plan by the Auditor	Number of subscribers selected for Audit
i	Plan Voucher	1							
		2							
		3							
ii	STV	1							
		2							
		3							
iii	Combo Voucher	1							
		2							
		3							
iv	Top Up Voucher	1							
		2							
		3							
v	Prepaid VAS	1							
		2							
		3							
vi	Prepaid Promo	1							
		2							
		3							
vii	Prepaid International Roaming	1							
		2							
		3							
viii	Pre-paid SUK	1							
		2							
		3							

Annexure-I-B

	Product sub category	Sno.	Active for offering to new subscribers as on last day of the quarter (Y/N)	Number of Active Subscribers as on first day of the quarter	Number of Active Subscribers as on last day of the quarter	Subscription count during the Quarter	Groups based on tariff offerings	Group description	Tariff plan selected for Audit (Y/ N)	Justification for selection / non-selection of the tariff plan by the Auditor	Number of subscribers selected for Audit
i	Postpaid Plan	1									
		2									
		3									
ii	Postpaid Addon Pack	1									
		2									
		3									
iii	Postpaid VAS	1									
		2									
		3									
iv	Postpaid International roaming	1									
		2									
		3									
v	Postpaid Promo	1									
		2									
		3									

Annexure-I-C

Format for collection of different tariff offerings of Wireline Prepaid

TSP:

Quarter:

LSA:

	Product sub category	Sno.	Unique Record ID	Product Name as per TSP	Unique Plan ID (by TSP), if any	Regular/Promotional	Date of reporting to TRAI	Launch/Revision/Correction/Withdrawal	Start date	Unique Record ID of Old tariff	Date of withdrawal	Installation/Activation Charges (if any)	Security Deposit (Int Roaming)
i	Fixed Line plan	1											
		2											
		3											
ii	Addon pack	1											
		2											
		3											
iii	Gen ISD	1											
		2											
		3											

Annexure-I-D

Format for collection of different tariff offerings of Wireline Postpaid

TSP:

Quarter:

LSA:

	Product sub category	Sno.	Unique Record ID	Product Name as per TSP	Unique Plan ID (by TSP), if any	Regular/Promotional	Date of reporting to TRAI	Launch/Revision/Correction/Withdrawal	Start date	Revision/Correction date	Unique Record ID of Old tariff	Date of withdrawal	Installation/Activation Charges (if any)
i	Fixed line Plan	1											
		2											
		3											
ii	Addon pack	1											
		2											
		3											
iii	Gen ISD	1											
		2											
		3											

Annexure-I-C

	Product sub category	Sno.	Security Deposit (Any other)	Price (Including Processing Fee & GST)	Talktime (in Rs.)	Validity (in Days)	Call (Local)	Call (STD)	Call (ISD)	Message (Local)	Message (National)	Message (International)	Data (including FUP)	Data carry forward limit (in days/ months)	Value added service	Any other service (please specify)
i	Fixed Line plan	1														
		2														
		3														
ii	Addon pack	1														
		2														
		3														
iii	Gen ISD	1														
		2														
		3														

Annexure-I-D

	Product sub category	Sno.	Security Deposit (Int Roaming)	Security Deposit (Any other)	Monthly Rental (Excluding GST)	Validity (in Days)	Call (Local)	Call (STD)	Call (ISD)	Message (Local)	Message (National)	Message (International)	Data (including FUP)	Data carry forward limit (in days/ months)	Value Added Service	Any other service (please specify)
i	Fixed line Plan	1														
		2														
		3														
ii	Addon pack	1														
		2														
		3														
iii	Gen ISD	1														
		2														
		3														

Annexure-I-C

	Product sub category	Sno.	Active for offering to new subscribers as on last day of the quarter (Y/N)	Number of Active Subscribers as on first day of the quarter	Number of Active Subscribers as on last day of the quarter	Subscription count during the Quarter	Groups based on tariff offerings	Group description	Tariff plan selected for Audit (Y/ N)	Justification for selection / non-selection of the tariff plan by the Auditor	Number of subscribers selected for Audit
i	Fixed Line plan	1									
		2									
		3									
ii	Addon pack	1									
		2									
		3									
iii	Gen ISD	1									
		2									
		3									

Annexure-I-D

	Product sub category	Sno.	Active for offering to new subscribers as on last day of the quarter (Y/N)	Number of Active Subscribers as on first day of the quarter	Number of Active Subscribers as on last day of the quarter	Subscription count during the Quarter	Groups based on tariff offerings	Group description	Tariff plan selected for Audit (Y/ N)	Justification for selection / non-selection of the tariff plan by the Auditor	Number of subscribers selected for Audit
i	Fixed line Plan	1									
		2									
		3									
ii	Addon pack	1									
		2									
		3									
iii	Gen ISD	1									
		2									
		3									

A. विनियम

1. दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012-

विनियम:

- 3 स्टार्ट-अप किट
- 4 वाउचर
- 6 वाउचर के सक्रियण पर प्री-पेड उपभोक्ताओं को जानकारी देना
- 7 उपयोग के संबंध में प्री-पेड उपभोक्ताओं को जानकारी देना
- 8 प्री-पेड मोबाइल कनेक्शन के संबंध में अतीत में उपयोग का विवरण
- 10 प्रीमियम दर और मूल्य वर्धित सेवाओं, डेटा उपयोग आदि पर ग्राहकों को जानकारी देना
- 15 उपभोक्ता को संचार जानकारी का देना
- 17 अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवा की डिफॉल्ट स्थिति
- 18 अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवा के सक्रियण पर उपभोक्ताओं को जानकारी देना
- 19 टैरिफ के चयन पर उपभोक्ताओं को जानकारी देना
- 20 उपभोक्ता द्वारा यात्रा करने वाले देश में जैसे ही मोबाइल उपकरण चालू किया जाता है, उपभोक्ता को जानकारी देना
- 21 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घूमते समय, चयनित टैरिफ के अनुसार हकदार डेटा उपयोग की समाप्ति के विभिन्न चरणों में उपभोक्ताओं को जानकारी देना
- 22 उपभोक्ता को, जो किसी ऐसे देश या क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवा का उपयोग शुरू कर सकता है जो सब्सक्राइब किए गए टैरिफ के दायरे में नहीं आता है या जहां सब्सक्राइब्ड टैरिफ, लागू किए गए टैरिफ से भिन्न है, इसकी जानकारी देना
- 23 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमते समय उपभोक्ता के खाते के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु सुविधा की स्थापना करना

2. दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, 2012-

विनियमन:

- 3 शिकायत केंद्र की स्थापना करना
- 4 सामान्य सूचना संख्या का स्थापन
- 17 सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता चार्टर का प्रकाशन

3. बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा की गुणवत्ता मानक के विनियम, 2009

विनियम:

- 3(ii) किराये में छूट

4. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (टीसीईपीएफ), विनियम, 2007

A. विनियम:

3 सेवा प्रदाताओं द्वारा, कुछ मामलों में ग्राहकों से एकत्र की गई अतिरिक्त राशि को टीसीईपीएफ में स्थानांतरित किया जाना

B. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है

खंड 6 नम्यता और पैकेज

खंड 9 टैरिफ का प्रकाशन

खंड 11 नियम और शर्तें

C. निदेश

1. निदेश दिनांक 15.03.2001, सेवा प्रदाता बदलते समय माइग्रेशन शुल्क पर
2. निदेश दिनांक 27.06.2005, पोस्टपेड सब्सक्राइबर के लिए क्रेडिट सीमा पर
3. निदेश दिनांक 29.06.2005, सब्सक्राइब किये गए प्लान के बारे में सब्सक्राइबर को जानकारी देने पर
4. निदेश दिनांक 12.09.2005 मूल्य वर्धित सेवाओं पर
5. निदेश दिनांक 16.09.2005, भ्रामक शीर्षकों के साथ विज्ञापित टैरिफ पर
6. निदेश दिनांक 07.06.2006 पोस्टपेड सब्सक्राइबर ग्राहकों के लिए क्रेडिट सीमा पर
7. निदेश दिनांक 23.08.2007, भ्रामक शीर्षक वाली टैरिफ प्लान से संबंधित और दिनांक 16.09.2005 के निदेश में संशोधन
8. निदेश दिनांक 27.04.2009, ग्राहकों के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं के प्रावधान पर
9. निदेश दिनांक 04.09.2009, ग्राहकों के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं के प्रावधान पर और दिनांक 27.04.2009 के निर्देश में संशोधन
10. निदेश दिनांक 26.03.2012 टैरिफ के विज्ञापन पर
11. निदेश दिनांक 27.07.2012, पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर को पर्याप्त जानकारी प्रदान करने पर
12. निदेश दिनांक 14.09.2012, ब्लैकआउट के दिनों पर एसएमएस शुल्क लेने पर
13. निदेश दिनांक 18.09.2020 टैरिफ के प्रकाशन पर
14. निदेश दिनांक 18.09.2020, टैरिफ के विज्ञापन पर
15. निदेश दिनांक 22.10.2020 टैरिफ के प्रकाशन पर (दिनांक 18.09.2020 के निदेश में संशोधन)
16. दिनांक 18.09.2020 के निदेश हेतु 22.10.2020 को स्पष्टीकरण
17. निदेश दिनांक 02.09.2021, यह सुनिश्चित करने के लिए केवल भादूविप्रा को रिपोर्ट किए गए टैरिफ ही दिए जा रहे हैं
18. निदेश दिनांक 07.12.2021, उन ग्राहकों के लिए आउटगोइंग एसएमएस सुविधा सक्षम करने पर, जो पोर्ट आउट कर रहे हैं

टैरिफ के प्रस्ताव और सब्सक्राइबर्स की सैंपलिंग का समूह निर्माण का दृष्टान्त उदाहरण

1. टैरिफ प्रस्तावों का समूहीकरण

उत्पाद उप श्रेणी	उत्पाद का नाम	टैरिफ सारांश	समूह का विवरण	टैरिफ प्रस्तावों पर आधारित समूह
प्लान वाउचर	पीवी 154	600 लोकल (टीएसपी के नेटवर्क पर) रात्रि मिनट + 2.5पैसा/सेकंड कॉल दर; 180 दिन की वैधता, प्रत्येक दिन पहले 100 लोकल + नेशनल एसएमएस मुफ्त, उसके बाद डिफॉल्ट टैरिफ दरें लागू रहना जारी रहेगा	कॉल+मैसेज	D
प्लान वाउचर	पीवी 154	600 लोकल (टीएसपी के नेटवर्क पर) रात्रि मिनट + 2.5पैसा/सेकंड कॉल दर; 180 दिन की वैधता	कॉल	F
प्लान वाउचर	पीवी 1449	असीमित लोकल + एसटीडी आउटगोइंग + रोमिंग एल/एन मोबाइल व लैंडलाइन कॉल + 1.5 जीबी 4जी/3जी/2जी डेटा/दिन + 100 लोकल/नेशनल एसएमएस/दिन 180 दिनों के लिए	कॉल+मैसेज+डेटा	B
एसटीवी	एसटीवी109	एसटीवी109 - असीमित लोकल/नेशनल कॉल + 200 एमबी 4जी/3जी/2जी डेटा, 15 दिन	कॉल+डेटा	E
एसटीवी	एसटीवी209	एसटीवी209 - असीमित लोकल/नेशनल कॉल + 4 जीबी 4जी डेटा + 100 एसएमएस/दिन, 28 दिन	कॉल+मैसेज+डेटा	B
एसटीवी	एसटीवी 298	50 जीबी 2जी/3जी/4जी डेटा, 28 दिन (पीवी 128 के साथ लागू रिचार्ज)	डेटा	G
कॉम्बो वाउचर	सीवी 39	रु. 30टीटी + 2.5पैसा/सेकंड कॉल +100 एमबी डेटा	कॉल+डेटा+मौद्रिक मूल्य	C
कॉम्बो वाउचर	सीवी 79	64 रु का टॉकटाइम + सभी कॉल @ 2.5पैसा/सेकंड + 21 दिन के लिए 200 एमबी डेटा	कॉल+संदेश+डेटा+मौद्रिक मूल्य	A
टॉप अप वाउचर	टॉप अप 50	39.37 रुपये का टॉकटाइम	मौद्रिक मूल्य	H
प्री-पेड इंटरनेशनल रोमिंग	आईआर 295	पैक में कुल देश: 24 1. 24 देश - 40 मिनट आउटगोइंग (लोकल + भारत में कॉलिंग) और इनकमिंग 2. शेष विश्व में, कॉलिंग मानक रोमिंग दरों पर 3. आउटगोइंग कॉलिंग कोटा के बाद शुल्क रु. 10/मिनट, 4. एसएमएस रु.25/एमबी, डेटा बंद रखा जाएगा	कॉल+ मैसेज (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान)	J
प्री-पेड इंटरनेशनल रोमिंग	आईआर 695	24 देश: 120 मिनट आउटगोइंग कॉल (लोकल + भारत में कॉल बैक), मुफ्त इनकमिंग कॉल, 1 जीबी; 4 देश: 50 मिनट आउटगोइंग कॉल (लोकल + भारत में कॉल बैक), मुफ्त इनकमिंग कॉल, 300 एमबी। अन्य: कोटा पश्चात रु.3/मिनट; मानक रोमिंग दरों पर आउटगोइंग इंटरनेशनल कॉल; एसएमएस: रु.25/एसएमएस; कोटा पश्चात डेटा बंद रखा जाएगा	कॉल+मैसेज+डेटा (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान)	I
प्री-पेड एसयूके	एसयूके5	लोकल/एसटीडी कॉल 2.5पैसा/सेकंड, 2जी/3जी/4जी के लिए 0.05/10 केबी पर डेटा, एसएमएस लोकल/एसटीडी/आईएसडी 1/1.5/5 रुपये, रोमिंग कॉल शुल्क (लोकल नेटवर्क) लोकल/एसटीडी आउटगोइंग पर रु.0.8/मिनट और रु. 1.15/मिनट, इनकमिंग कॉल- मुफ्त, रोमिंग एसएमएस शुल्क (लोकल नेटवर्क) लोकल/एसटीडी/आईएसडी के लिए रु.0.25/0.38/5। वैधता 28 दिन	कॉल+मैसेज+डेटा	B

2. टैरिफ प्रस्तावों का श्रेणीकरण

उत्पाद की उपश्रेणी	उत्पाद का नाम	टैरिफ प्रस्तावों पर आधारित समूह	समूह का विवरण
कॉम्बो वाउचर	सीवी 79	A	कॉल+मैसेज+डेटा+मौद्रिक मूल्य
प्लान वाउचर	पीवी 1449	B	कॉल+मैसेज+डेटा
एसटीवी	एसटीवी209	B	कॉल+मैसेज+डेटा
प्री-पेड एसयूके	एसयूके5	B	कॉल+मैसेज+डेटा
कॉम्बो वाउचर	सीवी 39	C	कॉल+डेटा+मौद्रिक मूल्य
प्लान वाउचर	पीवी 154	D	कॉल+मैसेज
एसटीवी	एसटीवी109	E	कॉल+ डेटा
प्लान वाउचर	पीवी 154	F	कॉल
एसटीवी	एसटीवी 298	G	डेटा
टॉप अप वाउचर	टॉप अप 50	H	मौद्रिक मूल्य
प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	आईआर 695	I	कॉल+मैसेज+डेटा (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान)
प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	आईआर 295	J	कॉल+ मैसेज (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान)

3. टैरिफ प्रस्ताव और सब्सक्राइबर्स की सैंपलिंग

समूह	समूह का विवरण	टैरिफ प्रस्तावों की कुल संख्या	उत्पाद की उपश्रेणी	उत्पाद का नाम	तिमाही के दौरान सब्सक्राइबर संख्या	ऑडिट के लिए चयनित सब्सक्राइबर की संख्या	ऑडिट के लिए चुने गए सब्सक्राइबर की कुल संख्या
A	कॉल+मैसेज+डेटा+मौद्रिक मूल्य	2	कॉम्बो वाउचर	सीवी 95	14820	612	1067
			कॉम्बो वाउचर	सीवी 79	11020	455	
B	कॉल+मैसेज+डेटा	27	एसटीवी	एसटीवी 269	25000	226	1067
			एसटीवी	एसटीवी 299	24000	217	
			एसटीवी	एसटीवी 301	23500	213	
			एसटीवी	एसटीवी 601	23410	212	
			एसटीवी	एसटीवी 267	22000	199	
C	कॉल+डेटा+मौद्रिक मूल्य	3	कॉम्बो वाउचर	सीवी 99	20400	459	1067
			कॉम्बो वाउचर	सीवी 99	16090	362	
			कॉम्बो वाउचर	सीवी 39	10890	246	

D	कॉल+मैसेज	1	प्लान वाउचर	पीवी 154	9000	1067	1067
E	कॉल+ डेटा	1	एसटीवी	एसटीवी109	13000	1067	1067
F	कॉल	1	प्लान वाउचर	पीवी 154	7000	1067	1067
G	डेटा	2	एसटीवी	एसटीवी 418	16500	581	1067
			एसटीवी	एसटीवी 298	13800	486	
H	मौद्रिक मूल्य	4	टॉप अप वाउचर	टॉप अप 30	11480	290	1067
			टॉप अप वाउचर	टॉप अप 30	10950	277	
			टॉप अप वाउचर	टॉप अप 20	10200	258	
			टॉप अप वाउचर	टॉप अप 50	9600	242	
I	कॉल+मैसेज+डेटा (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान)	8	प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	आईआर 695	2000	271	1067
			प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	आईआर 1495	1800	244	
			प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	आईआर 995	1580	214	
			प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	आईआर 2695	1300	176	
			प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	आईआर 5195	1200	162	
J	कॉल+ मैसेज (अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग के दौरान)	1	प्रीपेड अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग	आईआर 295	1010	1010	1010